1	विभाग का नाम	खाद्य तथा रसद विभाग
2	योजना का नाम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना।
3	योजना की संक्षिप्त टिपणी	भारत सरकार द्वारा जनसाधरण को गरिमामय जीवन निर्वहन के लिये सस्ती कीमत पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की सुगमता को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 माह जनवरी 2016 से समस्त जनपदों में लागू किया जा चुका है। उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश हेतु *ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 64.43 प्रतिशत* लाभार्थियों का चयन निर्धारित किया गया है। उक्त योजना के अतिरिक्त अन्त्योदय अन्न योजना भी प्रदेश में लागू है, जबकि पूर्व से लागू बी0पी0एल0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (priority house holdएपी0एच0एच0) के चयनित लाभार्थियों को 03 किलोग्राम गेहूं 02 रूपये प्रति किलो एवं 02 किलोग्राम चावल 03 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति यूनिट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को 20 किलोग्राम गेहूं 02 रूपये प्रति किलो एवं 15 किलो चावल 03 रूपये प्रति किलो प्रति कार्ड की दर से तथा रा0खा0सु0 योजना के लाभार्थियों को मि0 तेल 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 04 लीटर प्रति कार्ड के आधार पर हर माह निर्धारित वितरण दिवसों में पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थिति में वितरित किया जाता है।
4	पात्रता की अर्हता	xkeh.k {k=– निम्नलिखित व्यक्ति या उनके परिवार–भिक्षावृत्ति करने वाले। घरेलू काम काज करने वाले।जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले।फेरी लगाने वाले–खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि। कुष्ठ रोग से प्रभावित/एड्स से प्रभावित। अनाथ/माता–पिता विहीन बच्चे। स्वच्छकार।दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा कुल्ली, पल्लेदार आदि। 1. भूमिहीन मजदूरों के परिवार। 2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण पत्र के आधार पर) 3. परित्यक्त महिलाएं। 4. ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में अन्य कोई बालिग पुरूष नहीं है। 5. आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मी0 तक क्षेत्रफल तक के कच्चे आवास हो, जो उनकी निजी भूमि पर हो तथा जिनमें वे स्वयं निवास करते हो, सम्मिलित माने जायेगें। 6. ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य (अर्थात किन्नर) यदि व एक्सक्लूजन क्राईटेरिया में न आते हो। 7. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी (आय के आरोही क्रम में) 'kgjh {k=–निम्नलिखित व्यक्ति या उनके परिवार– कुष्ठ रोग से प्रभावित/एड्स से पीड़ित अनाथ/माता पिता विहीन बच्चे।परित्यक्त महिलाएं। कचरा ढोने वाले/स्वच्छकार। 1. ऐसे परिवार जिनकी आय का वर्तमान मुख्य स्रोत निम्न में से कोई एक है– भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, जूते चप्पल की मरम्मत, फेरी लगाने वाले–खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि। 2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं तत्पश्चात अन्य वर्गो के भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार जिनके मुखिया दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा कुली, पल्लेदार इत्यादि हो। 3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण पत्र के आधार पर)। 4. ऐसे परिवार जिनका मुखित निराक्षित महिला या विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एंव इस परिवार में अन्य कोई बालिग पुरूष नहीं है। 5. आवासहीन परिवार। 6. ऐसे परिवार, जो ऐसे आवासों मे रहते है, जिनकी छत पक्की न हो। 7. ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य (अर्थात किन्नर) यदि व एक्सक्लूजन क्राईटेरिया में न आते हो। 8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी (आय के आरोही क्रम में)
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित tulok dUn के माध्यम से अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर विवरण उपलबध कराते हुए कोई भी आवेदक आवेदन कर सकता है। vkonu Qke–ऑनलाईन उपलब्ध है।
6	लिंक वेबसाईट	http://fcs.up.nic.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी अथवा संयुक्त आयुक्त खाद्य, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।